

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-28/2016-

3461

/कृ0, पटना, दिनांक- 4/8/2016

प्रेषक,

प्रभु राम,  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)  
से परामर्शित।

विषय :

दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 967.006 (नौ करोड़ सड़सठ लाख छः सौ) लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए व्यय हेतु 754.26468 (सात करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार चार सौ अड़सठ रूपये) लाख रू० की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 967.006 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए व्यय हेतु 754.26468 (सात करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार चार सौ अड़सठ रूपये) लाख रू० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना में कार्य मद एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरण अनुसूची-1 एवं II पर संलग्न है। दियारा विकास योजना 25 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। योजना अन्तर्गत बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों को शामिल किया जायेगा।

3. योजना के अधीन गोर्डस समूह की सब्जीयाँ एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जाएंगे। मटर के उन्नत/शंकर प्रभेद के बीज वितरण केभी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

4. अनुमान्य अनुदान दर का निर्धारण विभागीय यूनिट कास्ट कमेटी द्वारा किया गया है।

5. अधिक उत्पादन के लिए शंकर/उन्नत किस्म के बीज सामग्री किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमान्य बीज सामग्री की खरीद किसान स्वयं करेंगे। गोर्डस समूह की सब्जीयाँ एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 रू० प्रति हे० किसानों को सहायतानुदान RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मटर के उन्नत/शंकर बीज के क्रय पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 रू० प्रति हे० किसानों को RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध कराया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

6. मटर बीज की उपलब्धता में कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कृषि विश्वविद्यालय से बीज की प्राप्ति संभव नहीं हो तो सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

7. गोर्डस समूह की सब्जियाँ एवं मेलनस के शंकर प्रभेद किसानों के रूझान एवं उत्पादन क्षमता को देखते हुए निजी कम्पनियों के शंकर बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

8. दियारा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पी०भी०सी०पाईप बोरिंग के लिए लागत का 50 प्रतिशत (100 फीट हेतु) अधिकतम 7,500.00 (सात हजार पाँच सौ) रु० प्रति यूनिट का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जायेगा। ईच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। चुने गये ईच्छुक कृषकों को जिला कृषि पदाधिकारी/इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किये जायेंगे। पी०भी०सी०पाईप बोरिंग को सफलता पूर्वक चलने के उपरांत ही अनुदान का भुगतान RTGS के द्वारा किया जायेगा तथा इसका फोटोग्राफ अभिलेखित किया जायेगा।

9. कृषकों को प्रशिक्षित करने एवं दियारा क्षेत्र के विकास के लिए उनके विचार जानने हेतु जिलास्तर पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना उत्तरदायी होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। योजना अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूचि-II संलग्न है।

11. उक्त स्वीकृत राशि में से 754.26468 (सात करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार चार सौ अड़सठ रुपये) लाख रु० का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष- 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या-1, विपत्र कोड- पी०- 2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड- ए०जी०आर०-5022, विषय शीर्ष- 33-01 सब्सिडी अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित 3120.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।



12. स्वीकृत राशि में से बक्सर जिला को संबंधित योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की बकाया देयता 13.50 लाख रुपये एवं मुजफ्फरपुर जिला को 4.506 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा। राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में कृषि मंत्री की स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-28/2016 के पृ०सं०- 14/टि० पर दिनांक- 01.07.2016 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-28/2016 के पृ०सं०-23/टि० पर दिनांक-29.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-28 / 2016-

3461

/कृ0, पटना, दिनांक- 4 / 8 / 2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-28 / 2016-

3461

/कृ0, पटना, दिनांक- 4 / 8 / 2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-28 / 2016-

3461

/कृ0, पटना, दिनांक- 4 / 8 / 2016

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक- पी0पी0एम0-28 / 2016-


3461

/कृ0, पटना, दिनांक- 4 / 8 / 2016

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को वांछित कार्रवाई तथा विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।





  
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

